

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारा

o/c

क्र.स.

339

दिनांक :- 15/05/2026

सेवा में,

श्रीमान उपवन संरक्षक

बारा

विषय :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति बाबत

Proposal No. FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Diversion of 286.47 ha. of forest land for हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

शर्त संख्या	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट का विवरण
	I. General Condition	
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged	शर्त सं. i की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
ii	Submission of CAT Plan approved by the Principal CCF & HoFF or any other officer authorized by him for the purpose before the Stage-II/final approval along with the compliance of Stage I approval conditions;	शर्त सं. ii की अनुपालना में कट प्लान को मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करवाकर प्रधान सीसीएफ को अनुमोदित हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है।
iii	The user agency shall furnish a report from the State Dam Safety Organisation (SDSO) regarding all technical aspects with respect to the dam as per the Dam Safety Act, 2021. The recommendations shall be implemented by the user agency to avoid any possible unforeseen conditions;	शर्त सं. iii की अनुपालना में बांध की डिजाइन बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अनुसार बांध से सम्बन्धित सभी तकनीकी पहलुओं के आधार पर तैयार करवाया गया है। बांध को SDSO द्वारा Specified Dam में सम्मिलित किया जा चुका है। जिसके पी.आई.सी. कोड RA67MH0272 है। एक्ट अनुसार प्री एवं पोस्ट मानसून रिपोर्ट प्रतिवर्ष SDSO को प्रेषित की जावेगी।
iv	The State Government shall obtain approval of the National Dam Safety Authority (NDSA) on the recommendations made by the State Dam Safety Organisation (SDSO) and submit the same before Stage II approval along with the compliance of Stage I approval conditions;	शर्त सं. iv की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) द्वारा की गई सिफारिशों पर बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अनुसार बांध को SDSO द्वारा Specified Dam में सम्मिलित किया जा चुका है। जिसके पी.आई.सी. कोड RA67MH0272 है। एक्ट अनुसार प्री एवं पोस्ट मानसून रिपोर्ट प्रतिवर्ष SDSO को प्रेषित की जावेगी। अन्य सभी शर्तों की तकनीकी रिपोर्ट SDSO के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
v	Compensatory Afforestation over the identified Non-Forest/ Revenue land of 286.50 ha area in Baran District of Rajasthan State shall be raised at the project cost under the supervision of the State Forest Department and afforestation works shall start within two years from the date of final approval and maintained thereafter in accordance with the approved CA scheme in consultation with the State Forest Department;	शर्त सं. v की अनुपालना में राजस्थान के बारा जिले में चिन्हित गैर वन/राजस्व भूमि के 286.50 हेक्टेयर क्षेत्र पर राज्य वन विभाग की देखरेख में परियोजना लागत 107364820/- रुपये दिनांक 12.03.2026 को जमा करा दी गई है। जिससे क्षतिपूर्ति वनरोपण किया जाएगा और वनरोपण कार्य अंतिम अनुमोदन की तारीख से दो वर्षों के भीतर शुरू हो जाएगा और उसके बाद राज्य वन विभाग के परामर्श से अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनरोपण योजना के अनुसार बनाए रखा जाएगा। प्रतिलिपि संलग्न है।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारा


प्रमाणित किया
B
205-2026

vi	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation as per the approved CA scheme at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal;	शर्त सं. vii की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा सीए योजना के अनुसार राज्य वन विभाग के परामर्श से वर्तमान मजदूरी दर पर क्षतिपूर्ति वनरोपण करने और उसके रख रखाव की लागत 107364820/- रुपये दिनांक 12.03.2026 को जमा करा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
vii	The cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the identified CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	शर्त सं. vii की अनुपालना में परिवर्तित वन भूमि की सीमा का सीमांकन परियोजना के खर्च पर जमीन पर चार फीट ऊंचे प्रचलित सीमेंट कंक्रीट के खम्भे लगा दिये गये हैं।
viii	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the final approval;	शर्त सं. viii की अनुपालना में क्षतिपूर्ति वनरोपण हेतु विन्हित गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और पंजीकृत करा दिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
ix	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department or the revenue forest land, as the case may be, shall be notified by the State Government as Protected Forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the local Forest Act, before handing over the forest land to the user agency;	शर्त सं. ix की अनुपालना में राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित की गई गैर वन भूमि या राजस्व वन भूमि को राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 या स्थानीय वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित की कार्यवाही उपवन संरक्षक वारों द्वारा कर दी गई हैं।
x	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC (pt.) dated 29.12.2023 in this regard;	शर्त सं. x की अनुपालना में राज्य सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.03.2008, 24.04.2008 और 09.05.2005 के रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 के आदेशों और इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.12.2023 के पत्र संख्या 5-3/2007- एफसी (पीटी.) के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत स्थानांतरित की जा रही वन भूमि को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि 274375236.60 रुपये दिनांक 12.03.2026 को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी गई हैं।
xi	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	शर्त सं. xi की अनुपालना में वर्तमान दर पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के भुगतान के समय उपयोगकर्ता एजेन्सी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार यदि ऐसा निर्धारित किया जाता है तो एनपीवी की अतिरिक्त राशि का भुगतान उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जमा कर दिया जायेगा।
xii	The copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted and the commensurate cost of CAT plan shall be deposited in the CAMPA account through online portal;	शर्त सं. xii की अनुपालना में अनुमोदित जलग्रहण क्षेत्र उपचार (सीएटी) योजना की प्रति प्रस्तुत कर दी गई है और सीएटी योजना की उचित लागत 204.52 लाख रुपये 12.03.2026 को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जमा कर दी गई है।

xiii	All the funds received from the user agency under the proposal shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;	शर्त सं. xiii की अनुपालना में प्रस्ताव के अंतर्गत उपयोगकर्ता एजेन्सी ने सभी धनराशि 475262056.60 रुपये दिनांक 12.03.2026 को ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर कैम्पा खातों में जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
xiv	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and area earmarked for CA in the e-Green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency;	शर्त सं. xiv की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार को वन भूमि सौंपने से पहले डायवर्जन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और सीए के लिए निर्धारित क्षेत्र की केएमएल फाइलें एफएसआई के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने हेतु उपवन संरक्षक बरों को प्रस्तुत कर दी गई हैं।
xv	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	शर्त सं. xv की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
xvi	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down;	शर्त सं. xvi की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी पूर्व निर्धारित स्थलों पर muck disposal इस प्रकार करेगी जिससे वह नीचे नहीं लुढ़केगा।
xvii	The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place;	शर्त सं. xii की अनुपालना में मलबा निपटान के लिए बनाए गए क्षेत्र को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के खर्च पर राज्य वन विभाग की देखरेख में उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर स्थिर और पुनः प्राप्त किया जायेगा। डंपिंग सामग्री को अपनी जगह पर रोकने के लिए रिटेंनिंग दीवारें और सीढ़ीदार खेत बनाए जाएंगे।
xviii	The user agency shall provide free water for the forestry related projects;	शर्त सं. xiii की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी वन संबंधी परियोजना के लिए निःशुल्क जल उपलब्ध करायेगी।
xix	The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only. Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project;	शर्त सं. xix की अनुपालना में पेड़ों की कटाई केवल एफआरएल-4 मीटर तक ही सीमित रहेगी। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान हटाए जाने वाले पेड़ों की संख्या न्यूनतम रखी जायेगी।
xx	The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त सं. xx की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी वन भूमि में वृक्षों की कटाई न्यूनतम संख्या तक सीमित रखेगी तथा पेड़ों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में ही की जायेगी।
xxi	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	शर्त सं. xxi की अनुपालना में परियोजना कार्य और कार्यान्वयन शुरू होने से पहले भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति के अनुरूप, राज्य सरकार की पुनर्वास एवं नीति के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्वास योजना को लागू किया जाएगा। उक्त पुनर्वास एवं पुनर्वास योजना की निगरानी राज्य सरकार/क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं विकास मंत्रालय कार्यालय द्वारा निगरानी संकेतकों और अपेक्षित प्राप्त होने योग्य लक्ष्यों के साथ की जाएगी।

xxii	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled;	शर्त सं. xxii की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी काटे जाने वाले पेड़ों की अधिकतम संख्या को सीमित करने की संभावना तलाशी जायेगी।
xxiii	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	शर्त सं. xxiii की अनुपालना में वृक्षों की कटाई का खर्च उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा राशि 50000 दिनांक 12.03.2026 को राज्य वन विभाग के पास जमा करा दी गई है।
xxiv	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त सं. xxiv की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का शिविर नहीं लगाया जायेगा तथा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा।
xxv	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;	शर्त सं. xxv की अनुपालना में परिवर्तित वन भूमि की सीमा का सीमांकन परियोजना के खर्च पर जमीन पर चार फीट ऊंचे प्रचलित सीमेंट कंक्रीट के खम्भे प्रत्येक पर उसका क्रमांक और एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी और जीपीएस निर्देशांक अंकित कर लगा दिये गये हैं।
xxvi	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal except the change in land use allowed on the forest land vide Ministry's guideline dated 26.12.2024;	शर्त सं. xxvi की अनुपालना में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्ताव की रूपरेखा योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय उस भूमि उपयोग परिवर्तन के जिसकी अनुमति वन भूमि पर मंत्रालय के दिनांक 26.12.2024 के दिशानिर्देश के अनुसार दी गई है।
xxvii	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	शर्त सं. xxvii की अनुपालना में प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जायेगा
xxviii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त सं. xxviii की अनुपालना में आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति और जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
xxix	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त सं. xxix की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशों और एनजीटी के आदेशों के सभी प्रावधानों का जो इस परियोजना पर लागू होगा उसका अनुपालन करेगी।
xxx	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त सं. xxx की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी उपर्युक्त शर्तों के संबंध में वार्षिक स्व-अनुपालन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक नियमित रूप से राज्य सरकार, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर देगी।
xxxi	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त सं. xxxi की अनुपालना में यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय समय पर वनों और वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा और विकास के हित में यदि कोई अन्य शर्त बताते हैं उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उन शर्तों को मान लिया जायेगा।

xxxii	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 as issued by this Ministry on dated 29.12.2023;	शर्त सं. xxxii की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इन शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
xxxiii	The compliance report shall be uploaded on e-portal(https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. xxxiii की अनुपालना में अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशिषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, तृतीय बाराँ

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. i
की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन
नहीं किया जायेगा ।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. ii की अनुपालना में केट प्लान को मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करवाकर प्रधान सीसीएफ को अनुमोदित हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं.iii की अनुपालना में बांध की डिजाइन बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अनुसार बांध से सम्बन्धित सभी तकनीकी पहलुओं के आधार पर तैयार करवाया गया है। बांध को **SDSO** द्वारा **Specified Dam** में सम्मिलित किया जा चुका है। जिसके पी.आई.सी. कोड **RA67MH0272** है। एक्ट अनुसार प्री एवं पोस्ट मानसून रिपोर्ट प्रतिवर्ष **SDSO** को प्रेषित की जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. iv की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) द्वारा की गई सिफारिशों पर बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अनुसार बांध को **SDSO** द्वारा **Specified Dam** में सम्मिलित किया जा चुका है। जिसके पी.आई.सी. कोड **RA67MH0272** है। एक्ट अनुसार प्री एवं पोस्ट मानसून रिपोर्ट प्रतिवर्ष **SDSO** को प्रेषित की जावेगी। अन्य सभी शर्तों की तकनीकी रिपोर्ट **SDSO** के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

क्रमांक :


दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. v की अनुपालना में राजस्थान के बारा जिले में चिन्हित गैर वन/राजस्व भूमि के 286.50 हेक्टेयर क्षेत्र पर राज्य वन विभाग की देखरेख में परियोजना लागत 107364820/- रुपये दिनांक 12.03.2026 को जमा करा दी गई है। जिससे क्षतिपूर्ति वनरोपण किया जाएगा और वनरोपण कार्य अंतिम अनुमोदन की तारीख से दो वर्षों के भीतर शुरू हो जाएगा और उसके बाद राज्य वन विभाग के परामर्श से अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनरोपण योजना के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

प्रतिलिपि संलग्न है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. vi की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा सीए योजना के अनुसार राज्य वन विभाग के परामर्श से वर्तमान मजदूरी दर पर क्षतिपूर्ति वनरोपण करने और उसके रख रखाव की लागत 107364820/- रुपये दिनांक 12.03.2026 को जमा करा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. vii की अनुपालना में परिवर्तित वन भूमि की सीमा का सीमांकन परियोजना के खर्चे पर जमीन पर चार फीट ऊचे प्रचलित सीमेंट कंक्रीट के खम्भे लगा दिये गये है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं.
viii की अनुपालना में क्षतिपूर्ति वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के
पक्ष में हस्तांतरित और पंजीकृत करा दिया गया है।
प्रतिलिपि संलग्न है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. ix की अनुपालना में राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित की गई गैर वन भूमि या राजस्व वन भूमि को राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 या स्थानीय वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित की कार्यवाही उपवन संरक्षक बारां द्वारा कर दी गई है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. X की अनुपालना में राज्य सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.03.2008, 24.04.2008 और 09.05.2005 के रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 के आदेशों और इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.12.2023 के पत्र संख्या 5-3/2007- एफसी (पीटी.) के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत स्थानांतरित की जा रही वन भूमि को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि 274375236.60 रुपये दिनांक 12.03.2026 को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी गई हैं।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xi की अनुपालना में वर्तमान दर पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के भुगतान के समय उपयोगकर्ता एजेन्सी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार यदि ऐसा निर्धारित किया जाता है तो एनपीवी की अतिरिक्त राशि का भुगतान उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जमा कर दिया जायेगा।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं.
xii की अनुपालना में अनुमोदित जलग्रहण क्षेत्र उपचार (सीएटी) योजना की प्रति प्रस्तुत
कर दी गई है और सीएटी योजना की उचित लागत 204.52 लाख रुपये 12.03.2026 को
उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जमा कर दी गई है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. **xiii** की अनुपालना में प्रस्ताव के अंतर्गत उपयोगकर्ता एजेन्सी ने सभी धनराशि 475262056.60 रुपये दिनांक 12.03.2026 को ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर कैम्पा खातों में जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xiv की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार को वन भूमि सौंपने से पहले डायवर्जन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और सीए के लिए निर्धारित क्षेत्र की केएमएल फाइलमें एफएसआई के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने हेतु उपवन संरक्षक बारां को प्रस्तुत कर दी गई हैं।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. XV
की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के
प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं.
xvi की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी पूर्व निर्धारित स्थलों पर **muck disposal**
इस प्रकार करेगी जिससे वह नीचे नहीं लुढ़केगा।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारा


दिनांक :

क्रमांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xvii की अनुपालना में मलबा निपटान के लिए बनाए गए क्षेत्र को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के खर्च पर राज्य वन विभाग की देखरेख में उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर स्थिर और पुनः प्राप्त किया जायेगा। डंपिंग सामग्री को अपनी जगह पर रोकने के लिए रिटेनिंग दीवारे और सीढ़ीदार खेत बनाए जाएंगे।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं.
xviii की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी वन संबंधी परियोजना के लिए निःशुल्क जल
उपलब्ध करायेगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xix की अनुपालना में पेड़ों की कटाई केवल एफआरएल- 4 मीटर तक ही सीमित रहेगी। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान हटाए जाने वाले पेड़ों की संख्या न्यूनतम रखी जायेगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं.
XX की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी वन भूमि में वृक्षों की कटाई न्यूनतम संख्या तक
सीमित रखेगी तथा पेड़ों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में ही की जायेगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xxi की अनुपालना में परियोजना कार्य और कार्यान्वयन शुरू होने से पहले भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति के अनुरूप, राज्य सरकार की पुनर्वास एवं नीति के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्वास योजना को लागू किया जाएगा। उक्त पुनर्वास एवं पुनर्वास योजना की निगरानी राज्य सरकार/क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं विकास मंत्रालय कार्यालय द्वारा निगरानी संकेतकों और अपेक्षित प्राप्त होने योग्य लक्ष्यों के साथ की जाएगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं.
xxii की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी काटे जाने वाले पेड़ों की अधिकतम संख्या को
सीनंतरित करने की संभावना तलाशी जायेगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xxiii की अनुपालना में वृक्षों की कटाई का खर्च उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा राशि 50000 दिनांक 12.03.2026 को राज्य वन विभाग के पास जमा करा दी गई है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xxiv की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का शिविर नहीं लगाया जायेगा तथा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. XXV की अनुपालना में परिवर्तित वन भूमि की सीमा का सीमांकन परियोजना के खर्चे पर जमीन पर चार फीट ऊंचे प्रचलित सीमेंट कंक्रीट के खम्भे प्रत्येक पर उसका क्रमांक और एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी और जीपीएस निर्देशांक अंकित कर लगा दिये गये हैं।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xxvi की अनुपालना में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्ताव की रूपरेखा योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय उस भूमि उपयोग परिवर्तन के जिसकी अनुमति वन भूमि पर मंत्रालय के दिनांक 26.12.2024 के दिशानिर्देश के अनुसार दी गई है।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xxvii की अनुपालना में प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जायेगा


(राजन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xxviii की अनुपालना में आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतति और जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जायेगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xxix की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा- निर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशों और एनजीटी के आदेशों के सभी प्रावधानों का जो इस परियोजना पर लागू होगा उसका अनुपालन करेगी ।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. XXX की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी उपर्युक्त शर्तों के संबंध में वार्षिक स्व-अनुपालन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक नियमित रूप से राज्य सरकार, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर देगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. xxxi की अनुपालना में यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय समय पर वनों और वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा और विकास के हित में यदि कोई अन्य शर्त बताते है उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उन शर्तों को मान लिया जायेगा।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं.
xxxii की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इन शर्तों में से किसी भी शर्त का
उल्लंघन नहीं किया जायेगा।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य
(FP/RJ/Irrig/27263/2016 Dt. 21.7.2017)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं.
xxxiii की अनुपालना में अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर
अपलोड कर दी जायेगी।


(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

FORM-II

(For Projects Other than linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector

No- 1/2018

Dated- 17 Jan., 2018

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **286.47** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Manoj Kumar Goyal, Executive Engineer, Water Resources Department Div., iii Baran** (name of user agency) **Hathiadeh Medium Irrigation Project** (purpose for diversion of forest land) in **Baran** district falls within jurisdiction of **Karvari Khurd, Karvari Kalan, Bamandeh, Gordhanpura(Banjh Amali)** (4) Villages in **Kishanganj - Tehsil** It is further certified that:


- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **286.47** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **A** to **C**.
- (b) the proppsal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabhajs), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Karvari Kalan & Sunwas** (2) in **Kishanganj** is enclosed as annexure A(1) to annexure A(2)


अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधान खण्ड तृतीय बारी

- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
- (f) the rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(c) of the FRA.

Encl; As above


अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारौ

Signature

(Dr. S.P.Singh)
President of District Level committees &
District Collector, Baran

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
of India
Union Bank
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-12-2025

Agency Name.	WATER RESOURCES DEPARTMENT
Application No.	5727263282
MoEF/SG File No.	8-34/2019-FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Near Railway Over Bridge Kota Road BaranBaran .
Amount(in Rs)	475262056.6/-

Amount in Words :Forty-Seven Crore Fifty-Two Lakh Sixty-Two Thousand and Fifty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150855727263282 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक
of India
Union Bank
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-12-2025

Agency Name.	WATER RESOURCES DEPARTMENT
Application No.	5727263282
MoEF/SG File No.	8-34/2019-FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Near Railway Over Bridge Kota Road Baran Baran
Amount(in Rs)	475262056.6/-

Amount in Words :Forty-Seven Crore Fifty-Two Lakh Sixty-Two Thousand and Fifty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150855727263282 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print
Verified for Rs 475262057/-

Back

Entred in MB 16-1168.P.1628.

(1) Passed for Rs 1- 475262056.6/-
(Rs. Forty Seven crore fifty Two lacs
Sixty Two Thousand and Seven
Fifty Seven only)

Verified for Rs 1- 475262057/-
Rs. - Forty Seven Crore fifty Two lacs
Sixty Two Thousand and fifty seven.

खण्डीय लेखाकार
जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारा)

अधिकाधी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय

जल संसाधन उपखण्ड
द्वितीय-भंवरगढ़

अधिकाधी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड तृतीय (बारा) सहायक अभियन्ता
Corp.aspx?pid=IRRIG272632017282

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक-एफ-4(5)()राजस्व/2023/

दिनांक

2023

--: आदेश :-

अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बारा द्वारा हथियादेह सूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि की एवज में 242.50 है० भूमि का आवंटन वन विभाग को किये जाने की मांग करने पर तहसीलदार, अता द्वारा ग्राम पंचायत बालदडा, ग्राम तिखोद, तहसील अंता में वन विभाग हेतु आराजी खसरा नं 56 रकबा 6.00 है० म से रकबा 2.07 है०, ख.न. 57 रकबा 4.70 है० में से रकबा 2.42 है०, ख.न. 58 रकबा 3.40 है०, ख.न. 59 रकबा 6.00 है०, ख.न. 60 रकबा 9.00 है०, ख.न. 61 रकबा 2.70 है०, ख.न. 63 रकबा 7.30 है०, ख.न. 547/64 रकबा 10.80 है०, ख.न. 546/80 रकबा 1.00 है०, ख.न. 81 रकबा 4.00 है० तथा ख.न. 82 रकबा 4.00 है० कुल किता 11 कुल रकबा 52.69 है० किरम बंजड भूमि एवं इसी के साथ ग्राम पंचायत पाटोन्दा ग्राम पाटोन्दा तहसील अता में वन विभाग हेतु आराजी ख.न. 9 रकबा 6.15 है०, ख.न. 204 रकबा 32.73 है०, ख.न. 1115 रकबा 12.00 है०, ख.न. 1116 रकबा 5.76 है०, ख.न. 1201 रकबा 10.84 है०, ख.न. 1202 रकबा 18.00 है०, ख.न. 2376/1203 रकबा 4.90 है०, ख.न. 1337 रकबा 12.20 है०, ख.न. 1360 रकबा 14.17 है०, ख.न. 1397 रकबा 4.71 है०, ख.न. 2377/1398 रकबा 2.64 है०, ख.न. 2451/10 रकबा 2.64 है०, ख.न. 2453/1025 रकबा 3.71 है०, ख.न. 2455/1026 रकबा 7.07 है०, ख.न. 2457/1109 रकबा 4.21 है०, ख.न. 2459/1113 रकबा 10.53 है०, ख.न. 2461/1114 रकबा 9.26 है०, ख.न. 2463/2 रकबा 6.89 है०, ख.न. 2465/8 रकबा 11.10 है०, ख.न. 317 रकबा 0.11 है०, किरम गैंगु खाल व ख.न. 1200 रकबा 10.19 है०, किरम बंजड कुल किता 21 रकबा 189.81 है० भूमि प्रस्तावित की गई है।

शारान विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(297)राजो-3/2022 दिनांक 12.01.2023 द्वारा ग्राम तिखोद एवं पाटोन्दा के ख.न. का कुल रकबा 242.50 है० भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निशुल्क आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अता शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(297)राजो-3/2022 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के क्रम में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा की धारा 102 के तहत एवं अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बारा की मांग, उप वन संरक्षक, बारा की सहमति तथा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, अता की अनुशाषा के आधार पर ग्राम पंचायत बालदडा, ग्राम तिखोद, तहसील अंता आराजी खसरा नं. 56 रकबा 6.00 है० में से रकबा 2.07 है०, ख.न. 57 रकबा 4.70 है० में से रकबा 2.42 है०, ख.न. 58 रकबा 3.40 है०, ख.न. 59 रकबा 6.00 है०, ख.न. 60 रकबा 9.00 है०, ख.न. 61 रकबा 2.70 है०, ख.न. 63 रकबा 7.30 है०, ख.न. 547/64 रकबा 10.80 है०, ख.न. 546/80 रकबा 1.00 है०, ख.न. 81 रकबा 4.00 है० तथा ख.न. 82 रकबा 4.00 है० कुल किता 11 कुल रकबा 52.69 है० किरम बंजड भूमि एवं इसी के साथ ग्राम पंचायत पाटोन्दा ग्राम पाटोन्दा तहसील अता में वन विभाग हेतु आराजी ख.न. 9 रकबा 6.15 है०, ख.न. 204 रकबा 32.73 है०, ख.न. 1115 रकबा 12.00 है०, ख.न. 1116 रकबा 5.76 है०, ख.न. 1201 रकबा 10.84 है०, ख.न. 1202 रकबा 18.00 है०, ख.न. 2376/1203 रकबा 4.90 है०, ख.न. 1337 रकबा 12.20 है०, ख.न. 1360 रकबा 14.17 है०, ख.न. 1397 रकबा 4.71 है०, ख.न. 2377/1398 रकबा 2.64 है०, ख.न. 2451/10 रकबा 2.64 है०, ख.न. 2453/1025 रकबा 3.71 है०, ख.न. 2455/1026 रकबा 7.07 है०, ख.न. 2457/1109 रकबा 4.21 है०, ख.न. 2459/1113 रकबा 10.53 है०, ख.न. 2461/1114 रकबा 9.26 है०, ख.न. 2463/2 रकबा 6.89 है०, ख.न. 2465/8 रकबा 11.10 है०, ख.न. 317 रकबा 0.11 है०, किरम गैंगु खाल व ख.न. 1200 रकबा 10.19 है०, किरम बंजड कुल किता 21 रकबा 189.81 है० अर्थात् ग्राम तिखोद एवं पाटोन्दा के ख.न. का कुल रकबा 242.50 है० भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग के नाम निशुल्क आवंटन किया जाता है।

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

दिनांक 09.02.2023

क्रमांक-एफ-4(5)(13)राजस्व/2023/ 547 - 52
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अंता।
5. तहसीलदार, अंता को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश में अंकित भूमियों पर संबंधित को दखल दिया जाकर दखलनामे की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आवंटित भूमियों का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
6. रक्षित पत्रावली।

अति० जिला कलक्टर,
बारां

पता गिनी सचिवालय, बारां (325205)
(07453) 237001, 237003 (Fax) 237005

E-mail ID : dm-brn-rj@nic.in
admbaran@gmail.com

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

Application/5- Rule-1963 other Allotment (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved) docx

-/A

FORM-II

(for Projects Other than linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector

No- 1/2018

Dated- 17 Jan.,2018

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **286.47** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Manoj Kumar Goyal, Executive Engineer, Water Resources Department Div., iii Baran** (name of user agency) **Hathiadeh Medium Irrigation Project** (purpose for diversion of forest land) in **Baran** district falls within jurisdiction of **Karvari Khurd, Karvari Kalan, Bamandeh, Gordhanpura(Banjh Amali) (4) Villages** in **Kishanganj - Tehsil** It is further certified that:


- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **286.47** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **A to C**.
- (b) the proppsal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers,who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Karvari Kalan & Sunwas (2) in Kishanganj** is enclosed as annexure A(1) to annexure A(2)


अधिकापी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी

- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
- (f) the rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl; As above

Signature



(Dr. S.P. Singh)

President of District Level committees &
District Collector, Baran



अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बाराँ

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां एवं अथास जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां (राज0)

कमक / शैडर / डी0एम0 / वनाधिकार / 18 / 77

दिनांक- 17 01 2018

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक दिनांक 17 01 2018 कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18 01 2018 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं सशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) के तहत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में लंबित आवासीय कुल 249 एकल दावों एवं धारा 3(2) के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील किशनगंज के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव एवं अकावद परवन डेम से मोतीपुरा धर्मल पावर प्लान्ट तहसील-छीपाबडीह में आने वाली पाईप लाईन के पर्यायित प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र माहे जाने पर प्राप्त प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखा गया।

1- वनाधिकार एकल दावों का निस्सारण धारा 3(1) के दावे-

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज से आवासीय कुल 249 दावे प्राप्त होने पर इन सभी दावों को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में रखा गया। दावों का अवलोकन से पता गया कि सभी दावों में साक्ष्य यथा राशनकार्ड, शपथपत्र, पहचानपत्र, आधार कार्ड, नल व विजली से संबंधी कोई दस्तावेज सलग नहीं है जबकि गुगत डेमन के आधार पर कुछ दावेदारों का रहवास प्रमाणित है। बिना साक्ष्य के उक्त दावेदारों को अधिकार पत्र दिया जाना संभव नहीं है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि साक्ष्य से कब्जा प्रमाणित है तो अधिकार पत्र दिया जा सकता है। अतः सभी 249 दावों को पुनः जांच एवं साक्ष्य की दावेदारा से पूर्ति कराने हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज को दावे प्रतिप्रति (रिमाण्ड) किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उपखण्ड अधिकारों एवं विकास अधिकारों परायत समिति किशनगंज का पाबन्द किया जाता है कि तत्काल ग्राम समूह आयोजित कर सभी दावों में दावेदार के कब्जा व साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजों यथा बड़े बुजुर्ग के साक्ष्य, राशनकार्ड, वॉटर पहचान पत्र, नल व विजली के बिल, आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य कोई साक्ष्य है तो पत्रावली में शामिल कराकर पुनः आदेश पारित कर स्वीकृत दावों को तीन दिवस में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां में भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये।

2- अधिशासी अभिवंता, जल ससाधन खण्ड तृतीय, बारां (हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं सशोधित नियम 2012 की धारा 3(2) के तहत अधिशासी अभिवंता जल ससाधन खण्ड तृतीय, बारां द्वारा हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र में वन भूमि रकबा 286 47 है0 निहित होने से उक्त भूमि का उक्त अधिनियम के तहत प्रयुक्त वन भूमि पर अनापत्ति माहे जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया। इस परियोजना के प्रस्ताव में ग्राम पंचायत सुवास के ग्रामों की कुल 69 89 है0 भूमि का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, सुवास की बैठक दिनांक 27 12 2017 को अनुमोदन किया गया एवं ग्राम पंचायत करवाशेकला के ग्रामों की कुल 216 58 है0 का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, करवाशेकला की बैठक दिनांक 27 12 2017 को अनुमोदन किया गया है। दोनों ग्राम पंचायत के अनुमोदन होने पर एवं दावा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज को प्राप्त होने पर, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का दिनांक 08 01 2018 को अनुमोदन किया है। वन विभाग से भी उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि

21

अधिशासी अभिवंता

जल ससाधन खण्ड तृतीय बारां

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रत्यावर्तन भूमि पर उक्त अधिनियम के तहत कोई दावा लाबेत या प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 एवं सशोधित नियम 2012 की धारा 3(2) के तहत अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड वृत्तीय बारा द्वारा हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना डूब हेतु अनपत्ति जारी की जाती है। अतः निम्नलिखित प्रपत्र(फार्म-ग) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुमति की जाती है।

क्र.सं०	यूजर एजेंसी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	उपखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत प्रती-न वन भूमि ग्राम व ग्राम पंचायत	प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		ग्राम स्तरीय दनाधिकार सभित्ती/ग्राम सभा की बैठक तिनांक	उपखण्ड स्तरीय दनाधिकार सभित्ति में प्रस्ताव अनुमोदन तिनांक	
					ख.न०	रकबा			
1	अधिशासी अभियन्ता ससाधन खण्ड वृत्तीय बारा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र की वन भूमि प्रत्यावर्तन	किशनगंज	कस्बेशीखुद	ग्राम पंचायत कस्बेशीखुद	68/1	10.60	27-12-2017	08-01-2018
						340/1	13.92		
						341/1	05.56		
						337/1	0.04		
						338/1	0.22		
						339/1	29.73		
						353/1	04.86		
						260	4.86		
						584/276	5.18		
						254/1	29.14		
						255	8.33		
						256	0.99		
						614/280	2.75		
						275/1	25.57		
274	24.93								
342	0.34								
265	1.62								
266	7.45								
267	10.20								
271	2.59								
273	16.19								
591/272	1.62								
345	0.27								
405/1	7.52								
514	1.62								
515	0.32								
516	0.16								
	151.65								
	4.86								
	2.35								
	0.80								
	8.01								
	118/1			दाभनगंज					

अधिशासी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड वृत्तीय बारा

	मोरानपुरा उर्फ बाइजामली	ग्राम पंचायत सुवास	65 86/83 64 71 70 73/84 85/72	26.08 9/71 0.48 1.46 12.14 4.86 13.15 61.88	27.12.2017	08.01.2018
महायोग				286.47 हे०		

3- उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा (अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट जाने वाली पार्इप लाईन)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 की धारा 3(2) के तहत उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा द्वारा अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट ईकाई 5 व 6 की पानी की आपूर्ति के लिये पार्इप लाईन विछाने में प्रयुक्त वन भूमि रकबा 4.910 हे० के तहत प्रयुक्त वन भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को समझ रखा गया। इस प्रस्ताव में ग्राम पंचायत, मौखमपुरा के 3 ग्रामों की कुल 4.819 हे० भूमि का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, मौखमपुरा की बैठक दिनांक 2:10:2017 को अनुमोदन किया गया एवं ग्राम पंचायत राई के 1 ग्राम की कुल 0.091 हे० का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, राई की बैठक दिनांक 2:10:2017 को अनुमोदन किया गया है। दोनों ग्राम पंचायत के अनुमोदन होने पर एवं दावा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, छीपावडाँद को प्राप्त होने पर, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, छीपावडाँद द्वारा उक्त प्रस्ताव का दिनांक 27.11.2017 को अनुमोदन किया है। वन विभाग से भी उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट जाने वाली पार्इप लाईन के उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि पर उक्त अधिनियम के तहत कोई दावा लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की धारा, 3(2) के तहत उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा द्वारा अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट ईकाई 5 व 6 की पानी की आपूर्ति के लिये पार्इप लाईन विछाने हेतु अनापत्ति जारी की जाती है। अतः निर्धारित प्रपत्र(फार्म-1) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.सं०	ग्राम एवं नदी का नाम	प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	उपखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत अधीन वन भूमि ग्राम व ग्राम पंचायत		प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियाँ/ग्राम सभा की बैठक दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक	
				क्षेत्रफल	रकबा	क्षेत्रफल	रकबा			
1	उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा	अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट ईकाई 5 व 6 की पानी की आपूर्ति के लिये पार्इप लाईन	छीपावडाँद	मौखमपुरा	1	1.267	84 86 88 89 90	0.789 0.084 0.535 0.227 0.029	02.10.2017	

अधिशिखी अभियन्ता
जल संसाधान खण्ड तृतीय बारा

ग्राम		519	1631	27/11/2017
पंचायत	मौखपुरा	159	3295	
कोडडी	मौखपुरा	159	0257	27/11/2017
रावा	राई	2	0078	
		25	0013	
महायोग			0091	02/10/2017
			4.910 ₹0	

शेक संख्यावादा संभार हई।

(डी0 एस डी सिंह)

अध्यक्ष एवं जिला कन्वक्टर
बारा

(राजीव कपूर)

एन एम एन संस्था
बारा

(रामजीवन मीना)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंचायत परिषदा अतिकारी-माडा जिला पश्चिम बारा

(सरोज मीना)

सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति बारा

(कृष्णपुरी मीना)

सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति बारा

(निर्मला मीना)

सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति बारा

कमाक / शिडर / डी0एम0 / वनाधिकार / 18 / 15-67

निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर।
- 2 उप वन सहायक बारा
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारा / अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारा
- 4 उपखण्ड अधिकारी विशनगंज / छीपावडीद
- 5 विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगंज / छीपावडीद
- 6 अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारा
- 7 उपमुख्य अभियन्ता (सिविल) छबडा तारीय विद्युत परियोजना, छबडा
- 8 श्री कृष्णपुरी मीना सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा पता-ग्राम टिगरी, पोस्ट-हानीहडा, तहसील-अटक जिला-बारा
- 9 श्रीमती निर्मलावती मीना, सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा पता- गीतो का मौहल्ला ग्राम व पोस्ट- मूडला विसोती, तहसील अटक जिला-बारा
- 10 श्रीमती सरोज मीना, सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा पता- ग्राम मोरेली, पोस्ट-समली, तहसील-छबडा जिला-बारा

दिनांक - 17/01/2018

अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी(माडा)

जिला परिषद, बारा

अधिशासी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड तृतीय बारा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला-बारां

क्रमांक :-

दिनांक :-

-:: उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति ::-

आज दिनांक १-१-१८ को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3)2 के तहत प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिसूचना के तहत कुल 135 दावे प्राप्त हुए हैं, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल 51 दावे निरस्त किये गये तथा कुल 122 दावों को अधिकार पत्र जारी करने के अनुशषा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज द्वारा की गयी है तथा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बारां को अनुशषा के साथ अर्पित की गयी है। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज के समक्ष लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है।

संबंधित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3)2 के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशषा की जाती है।

क्र. स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बाध एवं डूब क्षेत्र का रकबा
					हेक्टर	हेक्टर
1	2	3	4	5	6	7
1			मौजा, करवरीखुर्द	68/1, 340/1, 341/1, 337/1, 338/1, 339/1, 353/1	94.34	64.93
2	करवरीकला	किशनगंज	मौजा, करवरीकला	260, 284/276, 254/1, 255, 256, 614/280, 275/1, 274, 342, 265, 266, 267, 271, 273, 591/272, 345, 405/1, 514, 515, 516	404.03	151.65
1			मौजा, बामनदेह	115, 117, 118/1	78.27	8.01
2	सुवांस	किशनगंज	मौजा, गोरधनपुरा उर्फ बाड़ा आमली	65, 86/63, 64, 71, 70, 73/84, 85/72	91.91	61.88
			कुल योग	37	668.58	286.47

[Signature]
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, किशनगंज

मनोनित सदस्य


[Signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
किशनगंज

मनोनित सदस्य


[Signature]
उपखण्ड अधिकारी,
किशनगंज


मनोनित सदस्य

आज दिनांक 2-1-2018 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली हथियादेह मध्यम क्षितीर्ष परियोजना के बाध के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या 1 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है. उसको उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदन कर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा 3 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दाव लखित नहीं है। अतः सर्वसम्मति से उक्त बाध के उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशप्ता की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड


रेजर वन क्षेत्र


विकास अधिकारी
पं स


अधिष्ठापी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बार्ड

1. 2018 के लिए...
 2. 2018 के लिए...
 3. 2018 के लिए...
 4. 2018 के लिए...
 5. 2018 के लिए...

1. 2018 के लिए...
 2. 2018 के लिए...
 3. 2018 के लिए...
 4. 2018 के लिए...
 5. 2018 के लिए...

1. 2018 के लिए...
 2. 2018 के लिए...
 3. 2018 के लिए...
 4. 2018 के लिए...
 5. 2018 के लिए...

क्र. सं.	विवरण	प्रमाण	दिनांक
1

1. 2018 के लिए...
 2. 2018 के लिए...
 3. 2018 के लिए...
 4. 2018 के लिए...
 5. 2018 के लिए...

क्र. सं.	विवरण	प्रमाण	दिनांक
1

अधिकाधी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र।

प्रपत्र क्र
(पैरा 22(1) देखें)
(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण

- (1) प्रस्तावित परियोजना/योजना जिसके लिए वन भूमि वांछित है, के विषय में लघु कथन।
- (2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)
क स्थान- सर्वे संख्या/कम्पार्टमेंट संख्या
ख क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में)
ग वन मंडल -
घ 150,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शों पर दिखाए
- (3) प्रस्तावित वन भूमि में परियोजना लगाने की औचित्यता
- (4) प्रत्येक हेक्टेयर में काटे जाने वाले तथा लगाए रखे जाने वाले वृक्षों की संख्या -


2. प्रस्तावित भवन/गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण।
3. इस आशय की पुष्टि कि यूजर एजेंसी काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या की दोगुनी संख्या में उस परियोजना अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष लगाएंगी तथा कम से कम 5 वर्षों तक उन वृक्षों की सुरक्षा तथा अनुरक्षण हेतु वार्षिक राशि उपलब्ध कराएंगी (विवरण संलग्न करें)।
4. ग्राम सभा की संस्तुति - स्वीकृत/अस्वीकृत
(जैसा भी मामला हो (✓) का निशान लगाएं)। (ग्राम सभा के सकल्प की प्रति संलग्न करें)

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में नाम)
पता
अधिशायी अभियान
जल संसाधन स्रण्ड फंड
भारत (INDIA)

तिथि
स्थान

प्रस्ताव की क्रम संख्या
(रेज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)


अधिशायी अभियान
जल संसाधन स्रण्ड तृतीय बारों

प्रपत्र ख
(पैरा 22(4) देखें)
(संबंधित रेंज वन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा)

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

परियोजना/योजना का स्थान


- (1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - राजस्थान
- (2) जिला - बारण
- (3) वन विभाग - रेंज डिप्टी कमिश्नर

- (4) प्रस्तावित वन भूमि (2 विकल्प उल्लेख करने हैं)
क स्थान-सर्वे संख्या/कम्पार्टमेंट संख्या 5 डिप्टी रेंज वन अधिकारी परियोजना के प्रस्तावित
ख क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में) - 286 है।
व्या यह जैदिक रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर इत्यादि का भाग है। 37

प्रस्ताव की स्वीकृति (दो विकल्पों के लिए अलग-अलग) पर उचित विचार के साथ निरीक्षण दौरा किये जाने का उल्लेख करते हुए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें।

प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अन्य बातों हेतु रेंज वन अधिकारी की दिनिर्दिष्ट संस्तुति तथा बेहतर विचार।

भूपेन्द्रका
नाम भूपेन्द्रका



रेंज वन अधिकारी के हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
किशनगढ़
नाम भूपेन्द्र राह लदा
कार्यालय मुहर.....

उल्लेख करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत

वन मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

कार्यालय मुहर.....


अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधान खण्ड तृतीय बारी

कार्यालय ग्राम पंचायत सुवांस जिला-बारां

दिनांक - 21/12/17

दिनांक -

- ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति :- 24-12-17

राज्य दिनांक 27-12-17 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवांस की बैठक सम्पन्न हुई। समिति निर्धारित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3) के तहत प्रभावित वन भूमि पर उचित अधिसूचना के तहत कुल HIL का दावा प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अधिकार पत्र जारी करने को अनुसूचित ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवांस द्वारा की गयी है तथा उपर्युक्त स्तरीय वनाधिकार समिति विधानमंडल को अनुसूचित के साथ अधिसूचित की गयी है। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवांस के समक्ष लम्बित या पंजीकृत नहीं है।

संशोधित ग्राम सभा द्वारा प्रभावित वन भूमि प्रत्यापन की वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3) के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यापन की अनुसूची की जाती है।


क्र. स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र का रकबा
					हेक्टर	हेक्टर
1	2	3	4	5	6	7
1			मौजा, बामनदेह	115, 117, 118/1	78.27	801
2	सुवांस	किसानगंज	मौजा, गोरखपुरा लर्फ बांध आमली	65, 86/63, 64, 71, 70, 73/84, 85/72	91.91	6188
			कुल योग	10	170.18	6989

वनपाल
मनोनिता सदस्य

सचिव
ग्राम पंचायत सुवांस
म.म. किसानगंज डि. बारां
मनोनिता सदस्य

ग्राम पंचायत सुवांस
ग्राम पंचायत सुवांस
म.म. किसानगंज डि. बारां
मनोनिता सदस्य

पुनर्वासी (उपलब्ध)
सदस्य



बैठक कार्यवाही वितरण रजिस्टर

शाम पंचायत/व्यापक संस्था का नाम

दिनांक 29/12/17 पंचायत समिति का नाम/जिला का नाम वर्ष 2017-18

क्र.सं.	वैठक की तिथि	वैठक का स्थान	उपस्थित सदस्यों का नाम	व्यक्तिगत कार्य का विवरण
1	29/12/17	शाम पंचायत	शाम पंचायत के सभी सदस्यों का नाम	वैठक की कार्यवाही का विवरण
2	29/12/17	शाम पंचायत	शाम पंचायत के सभी सदस्यों का नाम	वैठक की कार्यवाही का विवरण
3	29/12/17	शाम पंचायत	शाम पंचायत के सभी सदस्यों का नाम	वैठक की कार्यवाही का विवरण
4	29/12/17	शाम पंचायत	शाम पंचायत के सभी सदस्यों का नाम	वैठक की कार्यवाही का विवरण
5	29/12/17	शाम पंचायत	शाम पंचायत के सभी सदस्यों का नाम	वैठक की कार्यवाही का विवरण
6	29/12/17	शाम पंचायत	शाम पंचायत के सभी सदस्यों का नाम	वैठक की कार्यवाही का विवरण

कार्यालय ग्राम पंचायत करवरीकलां, जिला-बारां

क्रमांक :- 29-12

दिनांक :- 27-12-2012

-: ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति :-

आज दिनांक 27-12-2012 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा प्रारंभिक बैठक सम्पन्न हुई। इसमें निर्माणाधीन वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत जनजाती (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3) के तहत प्रभावित वन भूमि पर स्वतः अतिक्रमण को रोकने के लिए 1376 पत्र प्राप्त हुए हैं जिसे अधिकार पत्र जारी करने की अनुशंसा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा की गयी है तथा उपरोक्त स्तर पर वनाधिकार समिति किशनगंज को अनुशंसा के साथ अर्पित की गयी है। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

संशोधित ग्राम स्तर पर प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम-1930 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत जनजाती (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3) के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र का रकबा
					हेक्टेयर	हेक्टेयर
1	2	3	4	5	6	7
1			गौजा करवरीखुर्द	68/1, 310/1, 341/1, 337/1, 338/1, 339/1, 353/1	94.34	62.93
2	करवरीकलां	किशनगंज	गौजा करवरीकलां	260, 284/276, 254/1, 255, 256, 614/280, 275/1, 274, 342, 265, 266, 267, 271, 273, 501/272, 345, 405/1, 514, 515, 516	404.03	151.65
			कुल योग	27	498.37	216.58

आ.प्रधान
वनपाल

अ.प्रधान
मनोनित सदस्य
अमपाल

ग्राम पंचायत
करवरीकलां
मनोनित सदस्य
उत्तम

सरपंच
ग्राम पंचायत करवरीकलां
मनोनित सदस्य
अ.प्रधान, किशनगंज जि. बारां

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी

प्राप्त कर के अन्तर्गत 1956

प्राप्त कर के अन्तर्गत 1956
 1. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 2. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 3. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 4. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 5. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत

क्र. सं.	विवरण	प्राप्त कर	अन्तर्गत	अन्तर्गत
1
2
3
4
5

प्राप्त कर के अन्तर्गत 1956
 1. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 2. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 3. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 4. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 5. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत

प्राप्त कर के अन्तर्गत 1956
 1. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 2. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 3. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 4. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत
 5. अन्तर्गत प्राप्त कर के अन्तर्गत

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता	संपर्क नं.	व्यक्ति का पता	संपर्क नं.
1	श्री. राजेश कुमार
2	श्री. अमित कुमार
3	श्री. सुनील कुमार
4	श्री. विवेक कुमार
5	श्री. अशोक कुमार
6	श्री. प्रदीप कुमार
7	श्री. अजय कुमार
8	श्री. अरुण कुमार
9	श्री. अशोक कुमार
10	श्री. अशोक कुमार

हथियादेह माध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं दूर क्षेत्र में आ रही जगभूमि का विवरण

क्र.सं.	ग्राम	ग्राम खसरा न.	कुल रकबा बीघा-बीरवा	रकबा जो दूर क्षेत्र में आ रहा है बीघा-बीरवा	
	मौजा बागमदह	115	260-06	30-00	
		117	14-10	14-10	
		118	208-15	05-00	
	योग :-	3 खसरा न.	483-11	49-10	5.01 हेक्टर
	मौजा मोरानपुरा एवं बाज बागवती	65	159-19	124-00	
		86/63	69-11	60-00	
		64	3-12	03-00	
		71	9-04	09-00	
		70	168-09	75-00	
		73/84	75-17	30-00	
		85/72	81-05	81-05	
	योग :-	7 खसरा न.	567-17	382-05	61.88 हेक्टर
3	मौजा करवरी खुर्द	68/1	65-10	65-10	
		340/1	86-00	86-00	
		341/1	34-06	34-06	
		337/1	0-05	0-05	
		338/1	1-07	01-07	
		339/1	183-14	183-14	
		353/1	211-15	30-00	
	योग :-	7 खसरा न.	582-17	401-02	64.93 हेक्टर
4	मौजा करवरीकलां	260	139-00	30-00	
		584/276	32-02	32-00	
		254/1	196-11	180-00	
		255	269-06	51-10	
		256	314-00	06-02	
		614/280	17-00	17-00	
		275/1	157-19	157-19	
		274	164-09	154-00	
		342	02-02	02-02	
		265	97-15	10-00	
		266	103-00	46-00	
		267	187-10	63-00	
		271	130-10	16-00	
		273	218-15	100-00	
		591/272	103-18	10-00	
		345	01-13	01-13	
		405/1	46-10	46-10	
		514	107-06	10-00	
		515	43-16	02-00	
		516	162-19	01-00	
	योग :-	20 खसरा न.	2496-01	936-17	151.65 हेक्टर
	कुल योग :-	37 खसरा न.	4130-06	1769-14	286.47 हेक्टर
				Say	286.50 हेक्टर

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/IRRIIG/27263/2017 (./viewreport.aspx?pd=FP/RJ/IRRIIG/27263/2017) SUBMERGANCE OF HATHIADEH MEDIUM IRRIGATION PROJECT	IRRIIG2726320172825727263282		23 Jun 2025	CA: 107364820/- Addl CA: 73020000/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 274375236.6/- Total: 475262056.6/-	PAID	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Of India Mode of Payment (Challan) NEFT/RTGS Challan Generated On 17 Dec 2025 Transaction Date 12 Mar 2026	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/171120251437253429_FPRIRRIIG272632017_User_Fund_Demanded_10M04 pr) Generated Challan (./UserAccount/Heft_Challan.aspx?pd=IRRIIG2726320172827)
2	FP/RJ/IRRIIG/23175/2016 (./viewreport.aspx?pd=FP/RJ/IRRIIG/23175/2016) Ahamed Minor Irrigation Project	IRRIIG23175201633557231753352		22 Dec 2022	CA: 5528257/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 5011104.90/- Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 10539361.96/-	PAID	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Of India Mode of Payment (Challan) NEFT/RTGS Challan Generated On 25 Mar 2023 Transaction Date 30 Mar 2023	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/230320231700015292_FPRIRRIIG231752016_User_Fund_Demanded_H3122 pr) Generated Challan (./UserAccount/Heft_Challan.aspx?pd=IRRIIG2317520163355)




(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)





(HTTP://WWW.NIC.IN/)

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Payment_history.aspx

1/2

अधिशर्षी अभियन्ता
जल संसाधान खण्ड तृतीय बारा



अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी



अधिशाषी अभियन्ता
 जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी



id: 25.291123
elevation: 76.306564
height: 231.92±1.3 m
width: 3.0 m
azimuth: 295° (NW)
inclination: 1.7° (2.4°)
5-02-2026 11:35


Powered by Angl



24
अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी



अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी




25.291203
e: 76.306219
n: 233.04±1.3 m
y: 3.0 m
i: 175° (S)
4.2° (-69.3°)
5-02-2026 11:33

Powered by Angi



25.291035
e: 76.306889
n: 230.76±1.3 m
y: 3.0 m
i: 78° (E)
5°
5-02-2026 11:34

Powered by Angi


अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारी

**OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, WATER RESOURCES
DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR**

No. CE/TA(W)/659/86/Hatiyadeh/2446

Dated: 20-12-21

Chief Engineer,
Water Resources Zone,
Kota

Not Tech 12/2021/2464
Copy forwarded to EEWR-Div-III Baran for
Information and N/A.

Date: 24-01-2022

अधिशायी अभियंता एवं प्रावो सहा०
वास्ते:- अधीक्षण अभियंता जल
संसाधन बारा

Sub:- Regarding Catchment Area Treatment (CAT) Plan for Hatiyadeh Medium Irrigation Project across a local nallah in Village Karvari, Tehsil-Kishanganj Dist. Baran (Rajasthan).

Ref:- Your office letter no. CE/ WR/ Tech./ F-129/ 2021/ 12683 dated 22.11.2021.

Sir,

In connection to the above context, kindly refer your above cited letter vide which Catchment Area Treatment (CAT) Plan for Hatiyadeh Medium Irrigation Project across a local nallah in Village Karvari, Tehsil-Kishanganj Dist. Baran (Rajasthan) amounting to Rs. 204.52 Lakhs has been submitted for necessary action.

In this context, I am directed to convey the permission of Government to forward the Catchment Area Treatment (CAT) Plan to State Forest Department for necessary action.

This bears the approval of the competent authority vide MR. No. 63492 PS SWR/SWRPD/IGN & ACAD dated 16.12.2021.

Encl: As Above



कार्या: ज.अ.ज.क.व.ल बारा

रजस्व
निल
सिंध
पिटीशन
का.प्र.

Yours sincerely

(Harish Vasdani)
Superintending Engineer (Works)
to Chief Engineer, Water Resources,
Rajasthan Jaipur

NO: CE/WR/ Tech/ F- 129/ 23 Date: 3
Copy to SE WRC Baran



AG/WR
A.L
25/12

अधीक्षण अभियंता (जो मो:)

14X1=14

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक:- एफ 4() () राजस्व/2020/2111

दिनांक:- 07.07.2021

निमित्त:-
अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
वृत्त बारां

विषय:- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब में आने वाले ग्राम करवरीकला, करवरीखुर्द एवं मौजा हथियादेह की पुनर्वास कार्य योजना एवं योजना मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक/जस/वृत्/2021/254 दिनांक 17.06.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रानुसार हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब में आने वाले ग्राम करवरीकला, करवरीखुर्द एवं मौजा हथियादेह की पुनर्वास कार्य योजना एवं योजना मानचित्र के संबंध में दिनांक 15.03.2021 को आयोजित बैठक में कमेटी द्वारा मानचित्र में आवश्यक संशोधन सहित अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया था।

इसी क्रम में प्रासंगिक पत्र के साथ पुनर्वास की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पूर्व पुनर्वास योजना प्लान एवं मानचित्र का अनुमोदन पश्चात हस्ताक्षर हेतु प्राप्त हुआ था। जो की अनुमोदन एवं हस्ताक्षर उपरांत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कार्या. अ. अ. ज. स. वृत्त बारां	
स्थान	रखरख
ज.क.	ज.क.
संख्या	दिनांक
केश	विहीन
स्टोर	अ. अ.
प्र. अ.	अ. अ. अ. अ.

(राजेंद्र विजय)
जिला कलक्टर
बारां

Copy to EEW III

Tech/2021/871

Dt: 29-7-2021

4805

29/7/21

Copy forwarded to EEW- Div- III

Baran for Information and N/A.

अधिसूची अतिवृत्त एवं बाके सहा
बारां - जल संसाधन विभाग
संसाधन बारां

पता : मिनी सचिवालय, बारां (325205)	E-mail ID : dm-bm-rj@nic.in
Ph. No. : (07453) 237001, 237003 (Fax) 237005	admbaran@gmail.com
E:\Daulat nagar allotment\20- Land Aquisition.doc	

271
02/08

Keep copy in section also

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्लान-जिला बारां

परियोजना परिचय :- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना हथियादेह नाले पर ग्राम करवरीकलॉ, तहसील किशनगंज, जिला बारां में प्रस्तावित है। बांध स्थल की बारां से दूरी 50 कि.मी. व अक्षांश व देशान्तर 25°15'49" एवं 76°42'18" है।

परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जल संसाधन विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक F.3(12)AS/I/Cell/96/XVII/143rd SLEC meeting/600 Dated 28.08.2018 द्वारा राशि रुपये 40884.00 लाख की जारी की जा चुकी है।

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में 286.50 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रकरण MOEF नई दिल्ली में विचाराधीन है।

बांध की कुल भराव क्षमता 46.97 एम.क्यू.एम. एवं उपयोगी भराव क्षमता 42.97 एम.क्यू.एम. है जो कि परियोजना के 8979 हेक्टेर क्षेत्र को सिंचित करेगी।

परियोजना के तकनीकी पहलू :-

1	बांध की कुल लम्बाई	6370 मीटर (6277 मीटर मिट्टी का बांध एवं 93 मीटर गेटेड ओगी स्पीलवे)
2	रेडियल गेटों की संख्या	6 नम्बर (11.5 मीटर X 10.97 मीटर)
3	दांयी मुख्य नहर की लम्बाई	19.32 कि.मी.
4	बांयी मुख्य नहर की लम्बाई	12.96 कि.मी.

बांध निर्माण कार्य :-

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण का कार्य मैसर्स गुरुदीप सिंह चण्डी एण्ड कम्पनी एवं स्वास्तिक लिफ्ट एण्ड शिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, (जे.वी.), कोटा को कार्यादेश राशि रु. 61.75 करोड़ का दिनांक 05.10.2018 को जारी किया जा चुका है। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 15.10.2018 व पूर्ण करने की तिथि 14.10.2021 नियत है। संवेदक द्वारा बांध निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सिंचाई लाभ :-

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना 42.97 एम.क्यू.एम. जल सिंचाई हेतु आरक्षित है। परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र का सृजन एक ही चरण में किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में सिंचाई जल का उपयोग फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित है। परियोजना में जिला बारां की तहसील किशनगंज में 49 ग्रामों की कुल 8979 हेक्टेर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जावेगा।

भूमि अवाप्ति : परियोजना के पूर्ण डूब क्षेत्र में प्रभावित बारां जिले की किशनगंज तहसील के दो ग्रामों के निजी भूमि अवाप्ति हेतु अवार्ड राशि 111.00 करोड़ का जारी हो चुका है एवं भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

परियोजना पर व्यय :- परियोजना पर अब तक कुल 504.14 लाख का व्यय हो चुका है।

लाभान्वित ग्राम :- परियोजना के पूर्ण होने पर किशनगंज तहसील के निम्नांकित 46 गावों की 8979 हेक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

1. दुगेर	11. लक्ष्मीपुरा	21. बृजनगर	31. पाली	41. कुर्जी
2. फतेहपुरा	12. असनावर	22. भवानीपुरा	32. महतापुरा	42. चन्द्रपुरा
3. देवपुरा	13. गोपालपुरा	23. पीपल्दाकलां	33. बड़ौदा	43. कालपुरा
4. मायथा	14. श्रीपुरा	24. पीपल्दाखुर्द	34. निमोदा	44. धोलपुरा
5. मेघपुरा	15. गोविन्दपुरा	25. सेवनी	35. करवरी खुर्द	45. दौलतपुरा
6. जेतपुरा	16. थाना	26. लोडक्या	36. गोरधनपुरा	46. कशीरिया
7. रामगढ़	17. किशनपुरा	27. अर्जुनपुरा	37. खण्डेलाखेड़ी	
8. बिरमपुरा	18. उदयपुरा	28. गुवेडिया	38. सुवास	
9. जगदीशपुरा	19. माधोपुरा	29. तगारिया थानी	39. पीपलखेड़ी	
10. लहरुनी	20. चक लखिया	30. बिसलाई	40. बलून	

मुआवजा :- डूब में आनी वाली भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों का मुआवजा भूमि अवाप्ति के नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को भूमि, पेड़, मकानों एवं अन्य परिसम्पत्तियों का मुआवजा निम्नप्रकार देना प्रस्तावित है।

1. **कृषि भूमि :-** परियोजना के डूब में आने वाले दो गांवों की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति का मुआवजा सम्बन्धित गांव की विभिन्न प्रकार की भूमि की डी.एल.सी. दर के अनुसार तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार घोषित गुणांक के आधार पर मुआवजा की गणना की जावेगी तथा 100 प्रतिशत सोलेशियम चार्ज का भुगतान किया जावेगा। उक्त मुआवजे के अतिरिक्त धारा 11 की घोषणा की दिनांक से अवार्ड बनाने की दिनांक तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष (अधिकतम 36 माह के लिए) अतिरिक्त राशि दी जावेगी। उक्त गणनाएँ भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार की जावेगी तथा सरकारी भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा।

2. **अन्य सम्पत्तियाँ :-**

(ए) **मकान :-** परियोजना के डूब में आने वाले बारां जिले की तहसील किशनगंज के दो गांवों के मकानों के मुआवजे की गणना मकान के वास्तविक माप एवं प्रचलित बी.एस.आर. की दर अनुसार की जावेगी। अन्य सोलेशियम एवं अतिरिक्त राशि की गणना भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(बी) **कुएँ :-** परियोजना के डूब में आने वाले बारां जिले की तहसील किशनगंज के दो गांवों के निजी कृषि भूमि पर स्थित कुओं के मुआवजे की गणना कुएँ के वास्तविक माप एवं प्रचलित बी.एस.आर. की दर अनुसार की जावेगी। अन्य सोलेशियम एवं अतिरिक्त राशि की गणना भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(सी) **पेड़ :-** परियोजना के डूब में आने वाले बारां जिले की तहसील किशनगंज के दो गांवों के निजी कृषि भूमि पर स्थित पेड़ों के मुआवजे की गणना पेड़ों के वास्तविक माप एवं प्रचलित बी.एस.आर. की दर अनुसार की जावेगी। अन्य सोलेशियम एवं अतिरिक्त राशि की गणना भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बारां जिले की तहसील किशनगंज के दो ग्रामों करवरीखुर्द एवं करवरीकलों व मजरा हथियादेह की आबादी प्रभावित हो रही है।

परियोजना के डूब प्रभावित आबादी क्षेत्र का नवीन भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 तथा नियम 2016 के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए यह पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है। प्रभावित आबादी क्षेत्र का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 एवं नियम 2016 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार प्रभावित परिवार का विस्तृत सर्वे, गणना आदि उक्त आबादी भूमि के अधिग्रहण हेतु नियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन तिथि को प्रभावित परिवार आंकलन हेतु अन्तिम तिथि मानी जाकर विस्तृत सर्वे, गणना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना की धारा-11 की अधिसूचना दिनांक 15.07.2020 को जारी हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रभावित मकान तथा अनुमानित परिवारों की संख्या का आंकलन निम्नानुसार है।

जिला बारां तहसील किशनगंज

क.स.	आबादी प्रभावित ग्राम का नाम	मकानों की संख्या	प्रभावित परिवारों की अनुमानित संख्या
	पूर्ण डूब प्रभावित		
1	करवरीकलों व मजरा हथियादेह	398	सूची परिशिष्ट -1 398
2	करवरीखुर्द	370	सूची परिशिष्ट -2 370
	कुल योग	768	768

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि की उपलब्धता :-

इन गांवों की पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील किशनगंज के ग्राम पंचायत सुवास में कुल 22 हेक्टर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है।

(एम.के. गोयल)
अधिष्ठात्री अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

C-5
विभागाध्यक्ष
बारां (उप.)

(गौरव कुमार मित्तल)
प्रशासक
हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना
बारां

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (जिला -बारा) :-

भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 में वर्णित अनुसूचीवार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना निम्नानुसार है :-


पहली अनुसूची


भू-स्वामियों के लिए प्रतिकर


(Compensation for Land Owner)

क्र.स.	अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि की बाबत प्रतिकर पैकेज के संघटक	मूल्य अवधारण की रीति	मूल्य अवधारण की तारीख
1	भूमि का बाजार मूल्य	धारा-26 में उपबन्धित रूप में अवधारण किया जाएगा।	अधिनियम की धारा-11 की दिनांक को प्रचलित क्षेत्र की डी.एल.सी. दरों के आधार पर।
2	ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है।	शहरी क्षेत्र में परियोजना की दूरी के आधार पर, जो समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, 1.00 (एक) से 2.00 (दो)	2.00 राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार
3	नगरीय क्षेत्रों की दशा में, वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है।	1.00 (एक)	लागू नहीं।
4	भूमि या निर्माण से जुड़ी आस्तियों का मूल्य	1.00 (एक)	अधिनियम की धारा-11 की दिनांक को क्षेत्र में प्रचलित विभागीय दर अनुसूची के आधार पर
5	तोषण	कम संख्या 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य के शत प्रतिशत के समतुल्य जिसे ग्रामीणों के लिए कम संख्यांक 2 या नगरीय क्षेत्रों के लिए कम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक, द्वारा गुणित किया जाएगा और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 4 के सामने भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य।	आईटम नं. 2 व 4 का 100 प्रतिशत।
6	ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तिम अधिनिर्णय	कम संख्या 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य जिसे कम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक से गुणित किया जाएगा और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण।	अधिनियम में निर्धारित रीति के अनुसार ही अधिनिर्णय पारित किये गये हैं/किये जाएंगे।

7	शहरी क्षेत्रों में अन्तिम अधिनिर्णय	कम संख्या 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य जिसे कम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक से गुणित किया जाएगा और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण।	लागू नहीं।
8	सम्मिलित किये जाने वाले अन्य संघटक, यदि कोई हों	-	-


 (एम.के. गोयल)
 अधिषाशी अभियन्ता,
 जल संसाधन खण्ड तृतीय बारा


 C.S.
 कर्ता (रख.)


 (गौरव कुमार मित्तल)
 प्रशासक
 हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना
 बारा

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना

दूसरी अनुसूची

पहली सूची के उपबन्ध के अतिरिक्त सभी प्रभावित कुटुम्बों (भू-स्वामियों और ऐसे कुटुम्बों जिनकी जीविका मुख्यता अर्जित भूमि पर निर्भर है, दोनों) के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव


(Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements as per the Second Schedule of Land Acquisition Act-2013)

क्र. स.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	हकदारी/उपबन्ध	क्या उपलब्ध कराया गया है या नहीं (यदि उपलब्ध कराया गया है, जो ब्यौरा दे)
1	2	3	4
1	विस्थापन की दशा में मकान इकाईयों की व्यवस्था	<p>1. यदि ग्रामीणो क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो इन्दिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्र में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।</p> <p>2. ऊपर सूचीबद्ध फायदो को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्ब को, वो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, भी विस्तारित किया जाएगा, परन्तु शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, मकान निर्माण के लिए एक बार वित्तीय सहायता जो 1.50 लाख रूपये से कम नहीं होगा प्राप्त करेगा। परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो निर्मित मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।</p> <p>परन्तु यह और कि अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब के इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।</p> <p>स्पष्टीकरण - शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुमंजिली भवन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा।</p>	<p>01.01.2014 से नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं इसके नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में में इन्द्रा आवास योजना के विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जबकि जिला स्तरीय बैठक दिनांक 10.12.2017 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रभावित परिवारों को 30' x 60' का प्लॉट दिया जाना तय किया गया है।</p> <p>अंतः प्रत्येक प्रभावित परिवार को 30' x 60' का प्लॉट तथा इन्द्रा आवास की लागत राशि रु. 1.50 लाख में से 117 वर्गमीटर भूखण्ड की लागत (आवटित 30' x 60' का प्लॉट अर्थात 167 वर्गमीटर में से इन्द्रा आवास 50 वर्गमीटर कम करके) कम करके भुगतान किया जाएगा।</p>
2	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना की दशा में, जहां तक सम्भव हो तथा अर्जित भूमि के लिए संदत किये जाने वाले प्रतिकर के बदले में, प्रभावित क्षेत्र के कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक कुटुम्ब और जिसकी भूमि	लागू नहीं।


		<p>अर्जित की गई है या खो गई है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरूप सीमान्त कृषक या भूमिहिन की प्रारिथति में आ गया है, को प्रभावित कुटुम्ब को सम्बन्धित अधिकारों के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, के प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी :</p> <p>परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी।</p>	
3	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	<p>यदि भूमि को शहरीकरण के प्रायोजनों के लिए अर्जित किया जाता है, तो विकसित भूमि का 20 प्रतिशत भाग आरक्षित रखा जाएगा और उसकी भूमि अर्जन परियोजना से प्रभावित कुटुम्बों को उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्र के अनुपात में और अर्जन की लागत तथा विकास के खर्च के बराबर कीमत पर प्रस्थापना की जाएगी। :</p> <p>परन्तु यह और कि यदि परियोजना से प्रभावित कुटुम्ब इस प्रस्थापना का लाभ उठाना चाहता है तो जो भूमि अर्जन प्रतिकर के पैकेज उसे सन्देय है उसमें से समतुल्य राशि की कटौती की जाएगी।</p>	लागू नहीं।
4	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	<p>समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबन्ध किया गया है :</p> <p>(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबन्ध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे ही कार्य की जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना : या</p> <p>(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये एक ही बार में संदाय : या</p> <p>(ग) वार्षिकी नितियां जो कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के अनुसार 20 वर्ष तक प्रति कुटुम्ब दो हजार रुपये अन्यून प्रति मास संदत की जाएगी।</p>	<p>प्रति प्रभावित परिवार जो विस्थापित किया जाएगा, को निम्न विकल्प में से एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा।</p> <p>(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबन्ध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे ही कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाये, व्यवस्था किया जाना : या</p> <p>(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये एक ही बार में संदाय : या</p>


			(ग) वार्षिकी नितियों जो कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के अनुसार 20 वर्ष तक प्रति कुटुम्ब दो हजार रुपये अन्यून प्रति मास संदत्त की जाएगी।
5	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन - निर्वाह अनुदान	<p>ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रु० के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।</p> <p>इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र से विस्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पचास हजार रु० के समतुल्य रकम प्राप्त करेगी।</p> <p>अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन के मामलों में यथा सम्भव, प्रभावित कुटुम्बों को वैसे ही पारिस्थितिक क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा जिससे जनजातिय समुदायों के आर्थिक अवसरों, भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को परिरक्षित रखा जा सकेगा।</p>	<p>प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक वर्ष की अवधि के लिए तीन हजार रु. प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता प्रस्तावित है।</p> <p>परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।</p> <p>अतः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवार को रु. 50 (पचास) हजार की अतिरिक्त राशि का भुगतान प्रस्तावित नहीं है।</p>
6	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलु सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार 50 हजार रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	प्रभावित परिवार को भवन सामग्री, घरेलु सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार 50 हजार रु० की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
7	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाड़ा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम 25 हजार रु० के अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।	प्रभावित होने वाले ऐसे परिवार जो पशु या छोटी दुकान विस्थापन से पूर्व रखते हैं, उन्हें पशुबाड़ा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए 25 हजार रु. की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
8	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	किसी कारीगरों छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम 25 हजार रु० के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।	प्रभावित होने वाले कारीगरों, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित परिवार जो विस्थापन से पूर्व गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा रखते हैं, उन्हें 25 हजार रु० एक बार वित्तीय सहायता

			प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
9	मछली पकड़ने का अधिकार	सिंचाई या जल परियोजना के मामलों में प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।	राज्य सरकार द्वारा नियम अनुसार पात्र परिवार को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है।
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल 50 हजार रू0 का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।	प्रभावित होने वाले परिवार को 50 हजार रू0 का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है।
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रकरण फीस	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए सदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षित निकाय द्वारा किया जाएगा। 2. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी। 3. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुम्ब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा। 	प्रभावित होने वाले परिवार को निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड दिया जाना प्रस्तावित होने से स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रकरण फीस नहीं लिया जाना प्रस्तावित है।


 (एम.के. गोयल)
 अधिषाशी अभियन्ता,
 जल संसाधन खण्ड तृतीय बारा

CS


 जितेंद्र कुमार
 कर्मी (रत्न.)


 (गौरव कुमार मित्रल)
 प्रशासक
 हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना
 बारा

तृतीय अनुसूची
अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबन्ध
(Provision of Infrastructural Amenities)

क्र. सं.	भूमि के अभिग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संघटक	भूमि के अभिग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्योरें
1	2	3
1	सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्व्यस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।	पुनर्वास कॉलोनी को विद्यमान सड़क तंत्र से पक्की सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा और कॉलोनी में भीतरी पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा, तथा बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी।
2	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाए।	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले पुनर्वास कॉलोनी में उचित निकासी और स्वच्छता योजना निष्पादित की जायेगी।
3	भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।	भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार पुनर्वास कॉलोनी में पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल स्रोत हेण्डपम्प व ट्यूबवेल की व्यवस्था की जायेगी।
4	पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।	पुनर्वास कॉलोनी में पशुओं के पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
5	राज्य में स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।	इस हेतु राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6	उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या	उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जावेगी।
7	यथोचित, पंचायत घर।	यथोचित पंचायत घरों हेतु पर्याप्त जगह करवायी जावेगी। ताकि संबंधित विभाग आवश्यकता अनुरूप/नियमानुसार इसका निर्माण कर सकेगा। इस हेतु उचित बजट का प्रावधान लिया गया है।
8	बचत खाता खोलने की सुविधा के साथ यथोचित, ग्राम स्तर डाकघर।	यथोचित डाकघरों हेतु पर्याप्त जगह करवायी जावेगी। ताकि संबंधित विभाग आवश्यकता अनुरूप/नियमानुसार इसका निर्माण कर सकेगा। इस हेतु उचित बजट का प्रावधान लिया गया है।
9	समुचित, बीज सह उर्वरक भंडारण, यदि आवश्यक हो।	स्थान आरक्षित
10	पुनर्व्यस्थापित कुटुम्बों को आवंटित कृषि भूमि के लिए मूलभूत सिंचाई सुविधाएं यदि सिंचाई परियोजना उपलब्ध न हो तो सहकारिता का विकास करके या किसी सहकारी स्कीम या विशेष सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाए।	लागू नहीं।
11	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशो से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।	डूब क्षेत्र के प्रभावित 2 ग्रामों के परिवारों के लिए पुनर्वास कॉलोनियों का विकास किया जायेगा एवं उनके समीप ही परिवहन सुविधा हेतु स्थान आरक्षित कर सक्षम कार्यालय को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया जावेगा।
12	जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार	जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर

	पर कब्रिस्तानया शवदाह गृह।	कब्रिस्तान या शवदाह गृह हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा बाउण्ड्रीवाल हेतु बजट प्रावधान लिया गया है।
13	स्वच्छता की सुविधाएं जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।	उपलब्ध कराई जायेगी।
14	प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर परम्परागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।	प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
15	शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।	पुनर्वास कॉलोनी में आवश्यकतानुसार आंगनबाड़ी का निर्माण कराया जायेगा।
16	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के उपबन्धों के अनुसार विद्यालय।	अधिनियम अनुसार पुनर्वास कॉलोनी में विद्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा।
17	दो किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र।	अधिनियम अनुसार पुनर्वास कॉलोनी में आवश्यकतानुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जायेगा तथा दो किलोमीटर के क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र सुनिश्चित किया जावेगा।
18	भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।	अधिनियम अनुसार पुनर्वास कॉलोनी में आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जायेगा।
19	बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र।	पुनर्वास कॉलोनी में बच्चों के लिए क्रीडा स्थल के लिए जगह उपलब्ध कराई जायेगी।
20	प्रत्येक 100 कुटुम्बों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।	पुनर्वास कॉलोनी में सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक पुनर्वास कॉलोनी में सामुदायिक भवनों का इस तरह से निर्माण कराया जाएगा, कि विस्थापित परिवारों को पुनर्वास कॉलोनी में पर्याप्त सामुदायिक भवन उपलब्ध हो सके।
21	प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 कुटुम्बों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।	पुनर्वास कॉलोनी में धार्मिक कार्य के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक पुनर्वास कॉलोनी में पूजा स्थल के लिए जगह इस तरह उपलब्ध करायी जायेगी, कि परिवारों को पुनर्वास कॉलोनी में पर्याप्त पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा उपलब्ध हो सके।
22	परम्परागत जनजातिय संस्थाओं के लिए अलग भूमि चिन्हित की जाए।	आवश्यक नहीं।
23	वन में रहने वाले कुटुम्बों को जहा संभव हो गैर-काष्ठ वनोत्पाद और सामान्य सम्पत्ति संसाधन यदि व्यवस्थापन के नए स्थान के समीप उपलब्ध हो, पर उनके वन्य अधिकार उपलब्ध कराएं जाएं और यदि ऐसा कोई कुटुम्ब ऐसे वन या बेदखली के स्थान के नजदीकी क्षेत्र के सामान्य सम्पत्ति में अपनी पहुच या प्रवेश जारी रख सकता है, तो वह आजिविका के पूर्वोक्त संसाधनों के अपने पूर्व अधिकारों का उपभोग जारी रख सकेगे।	राज्य सरकार के नियमानुसार व्यवस्था उपलब्ध होगी।
24	व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, यदि आवश्यक हो।	व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
25	मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।	मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र उपलब्ध कराए जायेंगे।

अधिसा... भियन्ना
जल संसाधन... बारों

Jay
प्रशासक (एडिप्रोडि प्र. सि. मा. ०)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारों (राज.)


C.S.
विजय कनक...
भारी (राज.)


HATHIADEH MEDIUM IRRIGATION PROJECT, DISTRICT-BARAN, TEHSIL-KISHANGANJ


Statementy showing provision of rehabilitation Measures for oustees at Village-Sunwas, G.P.-
Sunwas, Tehsil-Kishanganj, District-Baran

S.No.	Item	Amount (Lacs)
1	2	3
1	Roads within the resettled villages and an all-weather road link to the nearest pucca road, passage and easement rights for all the resettled families be adequately arranged.	150.00
2	Proper drainage as well as sanitation plans executed before physical resettlement.	20.00
3	One or more assured sources of safe drinking water for each family as per the norms prescribed by the Government of India.	10.00
4	Provision of drinking water for cattle:	-
5	Grazing land as per proportion, acceptable in the State.	-
6	A reasonable number of Fair Price Shops.	20.00
7	Panchayat Ghars, as appropriate.	10.00
8	Village level Post Offices, as appropriate, with facilities for opening saving accounts.	-
9	Appropriate seed-cum -fertilizer storage facility if needed.	-
10	Efforts must be made to provide basic irrigation facilities to the agriculture land allocated to the resettled families if not from the irrigation project, then by developing a cooperative or under some Government scheme or special assistance.	-
11	All new villages established for resettlement of the displaced persons shall be provided with suitable transport facility which must include public transport facilities through local bus services with the nearby growth centres/urban localities.	-
12	Burial or cremation ground, depending on the caste- communities at the site and their practices.	10.00
13	Facilities for sanitation, including individual toilet points.	20.00
14	Individual single electric connections (or connection through non-conventional sources of energy like solar energy), for each household and for public lighting.	10.00
15	Anganwadi's providing child and mother supplemental nutritional services.	10.00
16	School as per the provisions of the Righth of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);	10.00
17	Sub-health centre within two kilometres range.	5.00
18	Primary health centre as prescribed by the Government of India.	-

19	Playground for children.	5.00
20	One community centre for every hundred families.(4x10=40)	40.00
21	Place of worship and chowpal/tree platform for every fifty families for community assembly, of numbers and dimensions consonant with the affected area.(8x5=40)	40.00
22	Separate land must be earmarked for traditional tribal institutions.	-
23	The forest dweller families must be provided, where possible, with their forest right on non-timber forest produce and common property resources, if available close to the new place of settlement and, in case any such family can continue their access or entry to such forest or common property in the area close to the place of eviction, they must continue to enjoy their rights to the aforesaid sources of livelihood.	-
24	Appropriate security arrangements must be provided for the settlement, if needed.	-
25	Veterinary service centre as per norms.	-
	Total	360.00
		Lakh


 (एम.के. गोयल)
 अधिषाशी अभियन्ता,
 जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

C.S.

 शिवाजी कलकट्टर
 कारी (रज्य.)


 (गौरव कुमार मित्रल)
 प्रशासक
 हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना
 बारां

76 17' 00.00" 76 17' 15.00" 76 17' 30.00" 76 17' 45.00" 76 18' 00.00" 76 18' 15.00" 76 18' 30.00" 76 18' 45.00" 76 19' 00.00"

INDEX PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASARA NO.56,57,58,59,60,61,63,547/64,546/80,81,82

VILLAGE - TIKOD TEHSIL - ANTA DISTT. - BARAN

KHASARA NO.1337,1360,1397,2377/1398,2463/2,2465/8,9,2451/10,204,317,2453/1025,2455/1026,2457/1109,
2459/1113,2461/1114,1115,1116,1200,1201,1202,2376/1203

VILLAGE - PATUNDA TEHSIL - ANTA DISTT. - BARAN

SCALE - 1 CM. = 80 M.

I-BLOCK

LAT-LONG OF BOUNDARY PILLARS ON ALTERNATE LAND BLOCK-I

CENTER LINE PILLARS	LAT-LONG		WGS-84 CO-ORDINATES	
	LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE
1	25 16' 49.3187"	76 17' 44.8926"	25 16' 49.3187	76 17' 44.8926
2	25 16' 48.3299"	76 17' 46.2963"	25 16' 48.3299	76 17' 46.2963
3	25 16' 49.3585"	76 17' 50.9060"	25 16' 49.3585	76 17' 50.9060
4	25 16' 52.2395"	76 17' 52.0300"	25 16' 52.2395	76 17' 52.0300
5	25 16' 50.5937"	76 17' 52.5967"	25 16' 50.5937	76 17' 52.5967
6	25 16' 49.2175"	76 17' 52.3177"	25 16' 49.2175	76 17' 52.3177
7	25 16' 48.7252"	76 17' 50.8302"	25 16' 48.7252	76 17' 50.8302
8	25 16' 47.5456"	76 17' 49.9591"	25 16' 47.5456	76 17' 49.9591
9	25 16' 46.3295"	76 17' 50.4196"	25 16' 46.3295	76 17' 50.4196
10	25 16' 44.7959"	76 17' 48.0733"	25 16' 44.7959	76 17' 48.0733
11	25 16' 42.7512"	76 17' 46.8265"	25 16' 42.7512	76 17' 46.8265
12	25 16' 41.9922"	76 17' 50.7821"	25 16' 41.9922	76 17' 50.7821
13	25 16' 39.9568"	76 17' 51.4370"	25 16' 39.9568	76 17' 51.4370
14	25 16' 40.7387"	76 17' 53.9845"	25 16' 40.7387	76 17' 53.9845
15	25 16' 38.0107"	76 17' 56.9970"	25 16' 38.0107	76 17' 56.9970
16	25 16' 37.9983"	76 17' 59.9617"	25 16' 37.9983	76 17' 59.9617
17	25 16' 36.0258"	76 18' 00.9770"	25 16' 36.0258	76 18' 00.9770
18	25 16' 36.5504"	76 18' 02.9904"	25 16' 36.5504	76 18' 02.9904
19	25 16' 34.0172"	76 18' 04.8033"	25 16' 34.0172	76 18' 04.8033
20	25 16' 33.0055"	76 18' 06.0174"	25 16' 33.0055	76 18' 06.0174
21	25 16' 33.4018"	76 18' 10.9094"	25 16' 33.4018	76 18' 10.9094
22	25 16' 28.6526"	76 18' 17.4481"	25 16' 28.6526	76 18' 17.4481
23	25 16' 29.6464"	76 18' 15.6335"	25 16' 29.6464	76 18' 15.6335
24	25 16' 23.7341"	76 18' 15.7099"	25 16' 23.7341	76 18' 15.7099
25	25 16' 23.6947"	76 18' 22.5678"	25 16' 23.6947	76 18' 22.5678
26	25 16' 18.4214"	76 18' 22.5872"	25 16' 18.4214	76 18' 22.5872
27	25 16' 13.5321"	76 18' 22.6054"	25 16' 13.5321	76 18' 22.6054
28	25 16' 13.5473"	76 18' 15.8061"	25 16' 13.5473	76 18' 15.8061
29	25 16' 13.3822"	76 18' 09.3079"	25 16' 13.3822	76 18' 09.3079
30	25 16' 15.9977"	76 18' 05.6207"	25 16' 15.9977	76 18' 05.6207
31	25 16' 14.2456"	76 18' 04.0306"	25 16' 14.2456	76 18' 04.0306
32	25 16' 12.9542"	76 18' 02.7646"	25 16' 12.9542	76 18' 02.7646
33	25 16' 15.6666"	76 18' 00.7078"	25 16' 15.6666	76 18' 00.7078
34	25 16' 15.2982"	76 17' 59.0807"	25 16' 15.2982	76 17' 59.0807
35	25 16' 14.9546"	76 17' 57.9813"	25 16' 14.9546	76 17' 57.9813
36	25 16' 12.6751"	76 17' 56.5202"	25 16' 12.6751	76 17' 56.5202
37	25 16' 13.0657"	76 17' 54.2357"	25 16' 13.0657	76 17' 54.2357
38	25 16' 11.3890"	76 17' 53.4480"	25 16' 11.3890	76 17' 53.4480
39	25 16' 13.2055"	76 17' 50.7173"	25 16' 13.2055	76 17' 50.7173
40	25 16' 11.7980"	76 17' 50.0462"	25 16' 11.7980	76 17' 50.0462
41	25 16' 10.2944"	76 17' 49.5188"	25 16' 10.2944	76 17' 49.5188
42	25 16' 10.2214"	76 17' 46.0350"	25 16' 10.2214	76 17' 46.0350
43	25 16' 10.2778"	76 17' 42.0379"	25 16' 10.2778	76 17' 42.0379
44	25 16' 12.3471"	76 17' 41.7136"	25 16' 12.3471	76 17' 41.7136
45	25 16' 14.2033"	76 17' 39.1377"	25 16' 14.2033	76 17' 39.1377
46	25 16' 15.4401"	76 17' 39.9932"	25 16' 15.4401	76 17' 39.9932
47	25 16' 16.7739"	76 17' 39.6077"	25 16' 16.7739	76 17' 39.6077
48	25 16' 19.8903"	76 17' 40.0716"	25 16' 19.8903	76 17' 40.0716
49	25 16' 19.8906"	76 17' 40.0716"	25 16' 19.8906	76 17' 40.0716
50	25 16' 18.8160"	76 17' 32.0822"	25 16' 18.8160	76 17' 32.0822
51	25 16' 20.8575"	76 17' 31.5021"	25 16' 20.8575	76 17' 31.5021
52	25 16' 23.1912"	76 17' 34.9628"	25 16' 23.1912	76 17' 34.9628
53	25 16' 25.6442"	76 17' 35.1197"	25 16' 25.6442	76 17' 35.1197
54	25 16' 26.6896"	76 17' 33.1131"	25 16' 26.6896	76 17' 33.1131
55	25 16' 27.7929"	76 17' 31.8747"	25 16' 27.7929	76 17' 31.8747
56	25 16' 29.3707"	76 17' 31.1139"	25 16' 29.3707	76 17' 31.1139
57	25 16' 30.9751"	76 17' 31.8927"	25 16' 30.9751	76 17' 31.8927
58	25 16' 31.9933"	76 17' 33.9727"	25 16' 31.9933	76 17' 33.9727
59	25 16' 35.6940"	76 17' 35.3503"	25 16' 35.6940	76 17' 35.3503
60	25 16' 38.9742"	76 17' 36.2922"	25 16' 38.9742	76 17' 36.2922
61	25 16' 42.9920"	76 17' 39.5118"	25 16' 42.9920	76 17' 39.5118
62	25 16' 45.2557"	76 17' 41.2402"	25 16' 45.2557	76 17' 41.2402
63	25 16' 46.9980"	76 17' 42.8220"	25 16' 46.9980	76 17' 42.8220


II-BLOCK

LAT-LONG OF BOUNDARY PILLARS ON ALTERNATE LAND BLOCK-I

CENTER LINE PILLARS	LAT-LONG		WGS-84 CO-ORDINATES	
	LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE
1	25 15' 51.1168"	76 17' 18.4800"	25 15' 51.1168	76 17' 18.4800
2	25 15' 50.7464"	76 17' 22.9934"	25 15' 50.7464	76 17' 22.9934
3	25 15' 49.4573"	76 17' 25.6521"	25 15' 49.4573	76 17' 25.6521
4	25 15' 49.9025"	76 17' 27.6737"	25 15' 49.9025	76 17' 27.6737
5	25 15' 46.6409"	76 17' 31.1049"	25 15' 46.6409	76 17' 31.1049
6	25 15' 48.4230"	76 17' 30.8810"	25 15' 48.4230	76 17' 30.8810
7	25 15' 47.4962"	76 17' 32.2760"	25 15' 47.4962	76 17' 32.2760
8	25 15' 46.5255"	76 17' 32.0665"	25 15' 46.5255	76 17' 32.0665
9	25 15' 46.4938"	76 17' 34.4090"	25 15' 46.4938	76 17' 34.4090
10	25 15' 48.5933"	76 17' 39.2002"	25 15' 48.5933	76 17' 39.2002
11	25 15' 51.1401"	76 17' 41.1746"	25 15' 51.1401	76 17' 41.1746
12	25 15' 45.2313"	76 17' 42.2692"	25 15' 45.2313	76 17' 42.2692
13	25 15' 45.4994"	76 17' 44.4090"	25 15' 45.4994	76 17' 44.4090
14	25 15' 51.3517"	76 17' 41.4033"	25 15' 51.3517	76 17' 41.4033
15	25 15' 57.9548"	76 17' 50.4802"	25 15' 57.9548	76 17' 50.4802
16	25 15' 56.4326"	76 17' 51.6799"	25 15' 56.4326	76 17' 51.6799
17	25 15' 55.4739"	76 17' 53.7667"	25 15' 55.4739	76 17' 53.7667
18	25 15' 53.9506"	76 17' 53.6214"	25 15' 53.9506	76 17' 53.6214
19	25 15' 51.5305"	76 17' 53.7703"	25 15' 51.5305	76 17' 53.7703
20	25 15' 52.3315"	76 17' 54.0278"	25 15' 52.3315	76 17' 54.0278
21	25 15' 51.6154"	76 17' 56.5818"	25 15' 51.6154	76 17' 56.5818
22	25 15' 48.5451"	76 17' 56.9804"	25 15' 48.5451	76 17' 56.9804
23	25 15' 48.8906"	76 18' 00.1529"	25 15' 48.8906	76 18' 00.1529
24	25 15' 47.2992"	76 18' 01.1109"	25 15' 47.2992	76 18' 01.1109
25	25 15' 45.6855"	76 18' 01.3882"	25 15' 45.6855	76 18' 01.3882
26	25 15' 44.1143"	76 18' 00.4770"	25 15' 44.1143	76 18' 00.4770
27	25 15' 42.6313"	76 18' 01.1661"	25 15' 42.6313	76 18' 01.1661
28	25 15' 40.8622"	76 18' 03.5673"	25 15' 40.8622	76 18' 03.5673
29	25 15' 39.3162"	76 18' 05.1232"	25 15' 39.3162	76 18' 05.1232
30	25 15' 40.4484"	76 18' 05.9555"	25 15' 40.4484	76 18' 05.9555
31	25 15' 39.6673"	76 18' 01.8525"	25 15' 39.6673	76 18' 01.8525
32	25 15' 03.1355"	76 18' 03.1355"	25 15' 03.1355	76 18' 03.1355
33	25 15' 39.9087"	76 18' 04.2988"	25 15' 39.9087	76 18' 04.2988
34	25 15' 39.7848"	76 18' 05.3572"	25 15' 39.7848	76 18' 05.3572
35	25 15' 39.3353"	76 18' 07.5319"	25 15' 39.3353	76 18' 07.5319
36	25 15' 39.9122"	76 18' 08.2422"	25 15' 39.9122	76 18' 08.2422
37	25 15' 36.6874"	76 18' 09.0597"	25 15' 36.6874	76 18' 09.0597
38	25 15' 36.0905"	76 18' 06.5923"	25 15' 36.0905	76 18' 06.5923
39	25 15' 33.9622"	76 18' 07.8983"	25 15' 33.9622	76 18' 07.8983
40	25 15' 32.1037"	76 18' 07.8748"	25 15' 32.1037	76 18' 07.8748
41	25 15' 31.8340"	76 18' 05.3496"	25 15' 31.8340	76 18' 05.3496
42	25 15' 30.3448"	76 18' 03.6799"	25 15' 30.3448	76 18' 03.6799
43	25 15' 30.1413"	76 18' 02.5930"	25 15' 30.1413	76 18' 02.5930
44	25 15' 29.4496"	76 18' 03.6414"	25 15' 29.4496	76 18' 03.6414
45	25 15' 27.7839"	76 18' 03.5890"	25 15' 27.7839	76 18' 03.5890
46	25 15' 30.2938"	76 18' 05.2623"	25 15' 30.2938	76 18' 05.2623
47	25 15' 30.7591"	76 18' 06.6238"	25 15' 30.7591	76 18' 06.6238
48	25 15' 31.3236"	76 18' 08.1123"	25 15' 31.3236	76 18' 08.1123
49	25 15' 30.0506"	76 18' 08.1668"	25 15' 30.0506	76 18' 08.1668
50	25 15' 28.6036"	76 18' 08.1418"	25 15' 28.6036	76 18' 08.1418
51	25 15' 27.6106"	76 18' 07.1608"	25 15' 27.6106	76 18' 07.1608
52	25 15' 27.7425"	76 18' 06.3112"	25 15' 27.7425	76 18' 06.3112
53	25 15' 25.0954"	76 18' 07.5901"	25 15' 25.0954	76 18' 07.5901
54	25 15' 27.5001"	76 18' 01.2596"	25 15' 27.5001	76 18' 01.2596
55	25 15' 22.7768"	76 17' 58.8913"	25 15' 22.7768	76 17' 58.8913
56	25 15' 25.0450"	76 17' 52.2465"	25 15' 25.0450	76 17' 52.2465
57	25 15' 26.5281"	76 17' 44.2611"	25 15' 26.5281	76 17' 44.2611
58	25 15' 23.0992"	76 17' 44.6569"	25 15' 23.0992	76 17' 44.6569
59	25 15' 22.8119"	76 17' 40.1413"	25 15' 22.8119	76 17' 40.1413
60	25 15' 24.6627"	76 17' 37.3887"	25 15' 24.6627	76 17' 37.3887
61	25 15' 28.8818"	76 17' 36.8723"	25 15' 28.8818	76 17' 36.8723
62	25 15' 28.1674"	76 17' 29.8298"	25 15' 28.1674	76 17' 29.8298
63	25 15' 24.5266"	76 17' 29.0936"	25 15' 24.5266	76 17' 29.0936
64	25 15' 34.0196"	76 17' 23.2647"	25 15' 34.0196	76 17' 23.2647
65	25 15' 35.3923"	76 17' 22.4307"	25 15' 35.3923	76 17' 22.4307
66	25 15' 38.8942"	76 17		

INDEX PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST
KHASARA NO. 200,201,196,197,198,209,210,211
VILLAGE - NACHANA KHERA TEHSIL- SHAHBAD DISTT. BARAN
AREA- 26.336 HACT.

SCALE- 1 CM. = 40 M



AREA ANALYSIS:

KHASARA NO.	AS PER JAMABANDI	RAKBA IN BIGHA	AS PER RAKBA IN HAC.	VILLAGE
200	4,360 HACT.	2	17	NACHANA KHERA
201	5,200 HACT.	32	10	NACHANA KHERA
196	6,544 HACT.	40	18	NACHANA KHERA
197	0,312 HACT.	1	19	NACHANA KHERA
198	2,160 HACT.	13	10	NACHANA KHERA
209	0,696 HACT.	4	07	NACHANA KHERA
210	4,000 HACT.	25	0	NACHANA KHERA
211	6,968 HACT.	43	11	NACHANA KHERA
30,32 HACT.		164	12	26,336 HACT.

SERIAL NO.	COORDINATE	NORTHING	EASTING
1	25°15'35.26"N	77°27'35.57"E	
2	25°15'33.07"N	77°27'35.61"E	
3	25°15'34.52"N	77°27'35.58"E	
4	25°15'34.29"N	77°27'35.50"E	
5	25°15'34.01"N	77°27'35.35"E	
6	25°15'37.30"N	77°27'34.94"E	
7	25°15'36.54"N	77°27'34.43"E	
8	25°15'33.42"N	77°27'30.33"E	
9	25°15'34.90"N	77°27'27.35"E	
10	25°15'37.44"N	77°27'27.30"E	
11	25°15'37.47"N	77°27'20.27"E	
12	25°15'34.05"N	77°27'20.09"E	
13	25°15'34.96"N	77°27'19.85"E	
14	25°15'47.74"N	77°27'18.42"E	
15	25°15'45.90"N	77°27'18.00"E	
16	25°15'45.52"N	77°27'18.00"E	
17	25°15'45.54"N	77°27'18.00"E	
18	25°15'46.00"N	77°27'18.00"E	
19	25°15'46.95"N	77°27'18.00"E	
20	25°15'52.42"N	77°27'18.00"E	
21	25°15'55.80"N	77°27'18.00"E	
22	25°15'55.81"N	77°27'18.00"E	
23	25°15'51.40"N	77°27'18.00"E	
24	25°15'46.76"N	77°27'18.00"E	
25	25°15'46.31"N	77°27'18.00"E	
26	25°15'46.28"N	77°27'18.00"E	
27	25°15'45.47"N	77°27'27.19"E	
28	25°15'50.90"N	77°27'27.54"E	
29	25°15'55.07"N	77°27'27.55"E	

	BOUNDARY OF FOREST (ALTERNATE)
	Demarcation Pillar's
	Khasra no
	Khasra Boundary (NACHANA KHERA)

EXECUTIVE ENGINEER
 WR DIV. III BARAN

25°15' 30.0000" 25°15' 45.0000" 25°16' 00.0000" 25°16' 15.0000"

77°06' 45.0000" 77°07' 00.0000" 77°07' 15.0000" 77°07' 30.0000" 77°07' 45.0000"





25°15' 30.0000" 25°15' 45.0000" 25°16' 00.0000" 25°16' 15.0000"


77°06' 45.0000" 77°07' 00.0000" 77°07' 15.0000" 77°07' 30.0000" 77°07' 45.0000"

INDEX PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST
KHASARA NO. 257
VILLAGE - AKLERA SAGAR TEHSIL- KISHANGANJ DISTT. BARAN
AREA - 17.66 HACT.

AREA ANALYSIS:			
KHASARA NO.	AS PER JAMABANDI	AS PER REQUIRED	VILLAGE
257	93.08 HACT.	17.66 HACT.	AKLERA SAGAR

LAT-LONG OF PROPOSED ROAD				
CENTERLINE PILLARS	LATITUDE	LONGITUDE	EASTING	NORTHING
1	25°08' 00.3853"	76°41' 25.5094"	670410.9383	2780791.4485
2	25°08' 01.8364"	76°41' 15.7954"	670136.3002	2780852.6878
3	25°08' 07.8598"	76°41' 15.6113"	670130.8367	2781017.9476
4	25°08' 14.1924"	76°41' 15.4488"	670122.7022	2781212.7128
5	25°08' 20.8540"	76°41' 15.1870"	670113.3497	2781417.5910
6	25°08' 20.5449"	76°41' 25.4098"	670400.3753	2781411.6695
7	25°08' 20.3650"	76°41' 26.3137"	670425.2579	2781406.4487
8	25°08' 14.1884"	76°41' 26.0634"	670421.1468	2781215.0945
9	25°08' 07.8248"	76°41' 25.8088"	670416.4584	2781020.4469


	BOUNDARY OF FOREST (ALTERNATE)
	Demarcation Pillar's
	Khasra no
	Khasra Boundary (AKLERA SAGAR)



EXECUTIVE ENGINEER
 WR. DIV. III BARAN

[Signature]

**ALTERNATE LAND PLAN OF PROPOSED SUBMERGANCE PLAN OF HATHIADEH IRRIGATION PROJECT
AREA - 286.50 HACT.**



INDEX	
PERTICULAR	SYMBOL
PROPOSED DAM LINE	
SUBMERGANCE LINE	
FOREST BOUNDARY	
SUBMERGANCE UNDER FOREST	

Index:

	PROPOSED ALTERNATE LAND
	14 Demarcation Pillar's
	Khasra no
	Khasra Boundary

ASSISTANT ENGINEER	EXECUTIVE ENGINEER
WR SUB. DIV. I BARAN	WR DIV. III BARAN

INDEX PLAN OF CA LAND
KHASARA NO. 200,201,196,197,198,209,210,211
VILLAGE - NACHANA KHERA TEHSIL - SHAHABAD DISTT. BARAN

GT SHEET NO. 54-G-4

